

- 4- प्रतिमाह के अन्त में हुए व्यय विवरण बी0एम0-13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमों व तद्विषयक शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- इस सम्बन्ध में हाने वाला व्यय अनुदान संख्या-25 के अधीन लेखाशीर्षक-4408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय-01 खाद्य-800-अन्य व्यय-04 आयुक्त खाद्य भवन का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 8- खाद्यायुक्त कार्यालय भवन के निर्माण हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि एवं पूर्व में स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुये कुल रू0-68828 हजार (रू0-छः करोड़ अठ्ठासी लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत हो जायेगी।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक-02.04.2018 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या-819/XIX-1/18-87/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- मुख्य महा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवरस्थापना विकास निगम लि0, पटेल नगर, देहरादून।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।

Bp

- 4- प्रतिमाह के अन्त में हुए व्यय विवरण बी0एम0-13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमों व तद्विषयक शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- इस सम्बन्ध में हाने वाला व्यय अनुदान संख्या-25 के अधीन लेखाशीर्षक-4408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय-01 खाद्य-800-अन्य व्यय-04 आयुक्त खाद्य भवन का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 8- खाद्यायुक्त कार्यालय भवन के निर्माण हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि एवं पूर्व में स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुये कुल रू0-68828 हजार (रू0-छः करोड़ अठ्ठासी लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत हो जायेगी।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक-02.04.2018 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या-819/XIX-1/18-87/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- मुख्य महा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवरस्थापना विकास निगम लि0, पटेल नगर, देहरादून।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।

Bp